



जनपद हमीरपुर

थाना - चिकासी

दिनांक 15.09.2026

थाना चिकासी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-64/26 धारा-309(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 15.06.2026 को रात्रि करीब 00:23 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की पत्नी का मंगलसूत्र छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में वादी अमित कुमार पुत्र मूलचन्द्र निवासी ग्राम मंगरौठ, थाना चिकासी, जनपद हमीरपुर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना चिकासी पर मु0अ0सं0-64/26 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 15.09.2026 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त सत्यम राजपूत पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम खेड़ा शिलाजीत थाना जरिया जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित माल मंगलसूत्र की बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सत्यम राजपूत पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम खेड़ा शिलाजीत थाना जरिया जनपद हमीरपुर।

आपराधिक इतिहास-

- 1.अ0सं0 64/26 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना चिकासी हमीरपुर
- 2.अ0सं0 35/25 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना मझगावां
- 3.अ0सं0 104/22 धारा 342, 395, 411, 420, 468, 471 आईपीसी थाना आटा जालौन
- 4.अ0सं0 04/23 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना आटा जालौन
- 5.अ0सं0 163/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली उरई जालौन
- 6.अ0सं0 799/23 धारा 379/411 आईपीसी थाना कोतवाली उरई जालौन
- 7.अ0सं0 79/24 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली उरई जालौन
- 8.अ0सं0 802/24 धारा 3/9/25 आर्म्स एक्ट
- 9.अ0सं0 36/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली उरई जालौन
- 10.अ0सं0 39/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली उरई जालौन

गिरफ्तारी का स्थान-

1. बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे थाना चिकासी, हमीरपुर

पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 शिवम सेजवार
- 2.का0 अभिषेक उपाध्याय
- 3.का0 अजय

